प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

36 घंटे में पिसावां थानाक्षेत्र का हत्याभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 27.11.2020

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा थाना पिसावां क्षेत्र में हुई हत्या की घटना के शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था। उक्त क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री एन.पी. सिंह के निकट पर्यवेक्षण में गठित टीम द्वारा 36 घंटे के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की गयी है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 25.11.20 को रामनरेश पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम ढल्लिया थाना रामकोट जिला सीतापुर ग्राम सेरवाडीह में खेत में मृत अवस्था में पाये गये थे। जिनके गले में गमछा बंधा था। परिजनो द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 25.11.2020 को थाना पिसावां पर मु0अ0सं0 392/20 धारा 302 भादवि बनाम रामसागर पुत्र मंगरे आदि पंजीकृत किया गया था ।

संक्षिप्त विवरण-घटना में संलिप्त अभियुक्त रामसागर पुत्र मगरें निवासी ग्राम देवरिया थाना पिसावां जिला सीतापुर से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक रामनरेश ग्राम सेरवाडीह में गन्ना सेंटर पर मजदूरी का कार्य करता था एवम् अभियुक्त रामसागर गन्ना सेंटर पर चौकीदारी का कार्य करता था। रात मे रामसागर के स्थान पर मृतक रामनरेश अक्सर देखरेख करता था जिसका रामसागर मृतक रामनरेश को पैसा देता था, दिनांक 25.11.2020 को मृतक रामनरेश शराब के नशे मे आकर रामसागर से पैसे के हिसाब को लेकर गाली गलौज करने लगा और मजदूरी का पैसा लेने की जिद करने लगा जिससे तंग आकर रामसागर मृतक रामनरेश को घर चलकर पैसे देने को कहकर चला। रास्ते मे थोडी दूर चलने के उपरान्त मृतक रामनरेश नशे के हालत मे रामसागर से वही पर पैसे लाने की बात कहकर पुनः गाली गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गया। जिससे रामसागर द्वारा उसे खेत मे ले जाकर अपने हाथ मे लिये डण्डे से उसके सिर पर प्रहार कर दिया जिससे रामनरेश की मृत्यु हो गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सर में चोट के कारण मृत्यु होना पाया गया है।

घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल डंडा बरामद किया गया है। समस्त विधिक कार्यवाही अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निकट पर्यवेक्षण में संपादित करायी जा रही है।

- **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-** रामसागर पुत्र मगरें निवासी ग्राम देवरिया थाना पिसावां जिला सीतापुर
- **पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 392/20 धारा 302 भादवि थाना पिसावां, सीतापुर।

- **<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना पिसावां -</u>**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री कुँवर बहादुर सिंह
2. उप निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार कटियार
3. हे0का0 श्रीकृष्ण यादव
4. का0 विपिन कुमार
5. का0 मनोज कुमार